संख्या-१३१/2016/2604/52-1-2016-27(एम०एस०डी०पी०)/13-।

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 26 सितम्बर, 2016

विषय- 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद/हापुड़ के राजकीय पालिटेक्निक हिण्डालपुर पिलखुआ के भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त लागतवृद्धि की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2603/52-1-2016-27(एम0एस0डी0पी0)/13-।, दिनांक 26 सितम्बर, 2016 द्वारा उक्त पालिटेक्निक के भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त लागतवृद्धि की धनराशि प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु रू० 1230.00 लाख की इकाई लागत स्वीकृत करते हुए कार्यदायी संस्था- यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, लि० लखनऊ को सिविल कार्यों हेतु 02 किश्तों में रू० 1169.10 लाख अवमुक्त किये गये थे । उक्त लागत में रू० 800.00 लाख सिविल निर्माण कार्यों हेतु प्राविधानित था एवं रू० 369.10 लाख मशीन/उपकरणों हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है ।

2- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा लागत वृद्धि हेतु शासन को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके बारे में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07 मई, 2015 में विचार करते हुए प्रायोजना की सिविल कार्यों हेतु स्वीकृत लागत रू० 1333.97 लाख अनुमोदित की गयी है। अत: अवशेष धनराशि रू० 533.97 लाख (रू० पांच करोड़ तैतीस लाख सत्तानबे हजार मात्र) राज्यांश के रूप में कार्यदायी संस्था-यू०पी०प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, लि० लखनऊ को योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष स्वीकृत कर अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (के0+रा0)	वर्तमान में अवमुक्त अतिरिक्त इकाई लागत		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गाजियाबाद / हापुड	राजकीय पालिटेक्निक हिण्डालपुर पिलखुआ का भवन निर्माण	01	1333.97 (संशोधित)	1230.00	533.97	1230.00	0.00	533.97	533.97
		योग=							**योग**	**533.97**

1- शासनादेश संख्या-1125/52-1-2011-2(एम०एस०डी०पी०)/11, दिनांक 19 अप्रैल, 2011 में शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगतपरिव्यय-आयोजनागत-02-समाजकल्याण-800-अन्यव्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0111-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण (के0 100/रा0 0-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2015-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

Unicode Polytechnic G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या (1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर।

8- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, लि० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण व उपकरण आदि की पूर्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद / हापुड ।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

12- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in